

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- चक सरदारपुरा
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :-

1. सुभाष सिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राजपूत साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बद्रीसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
2. मन्जू पुत्री बद्रीसिंह जाति राजपूत साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :-

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 23 डीपीएन के खाता संख्या 85/86 के प0न0 340/448(49) किला न0 25/0.253 ,प0न0 341/448(50) किला न0 21 ता 24/1.012हैक् 25/0.228 ,83/22 की 0.025हैक् गै0मु0 खाला कुल 1.518हैक् तथा रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 65/56 की 7.3850हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा दर्ज है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता अर्थात वादी के दादा के देहान्त होन पर विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।


वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा पनेसिंह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बराबर का हक हिस्सा है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश कर दिया है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन के खाता संख्या 85/86 के प0न0 340/448(49) किला न0 25/0.253 ,प0न0 341/448(50) किला न0 21 ता 24/1.012हैक् 25/0.228 ,83/22 की 0.025हैक् गै0मु0 खाला कुल 1.518हैक् तथा रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 65/56 के खसरा न0 52 की 7.3850हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/- अखेर रूप्ये पांच सौ का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-चक सरदारपुरा

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सुभाष सिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राजपूत साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बद्रीसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
2. मन्जू पुत्री बद्रीसिंह जाति राजपूत साकिन सोतीबडी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 488 सन 2017 निर्णय दिनांक

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन के खाता संख्या 85/86 के प0न0 340/448(49) किला न0 25/0.253 ,प0न0 341/448(50) किला न0 21 ता 24/1.012हैक् 25/0.228 ,83/22 की 0.025हैक् गै0मु0 खाला कुल 1.518हैक् तथा रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 65/56 के खसरा न0 52 की 7.3850हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/- अखेर रूप्ये पांच सौ का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Sayyidi
शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-चक सरदारपुरा